न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-476RAAJodhpur2021-155RTA223 Abdul Karim Vs Gumanaram etc

अब्दुल करीम पुत्र गाजी खां जाति मुसलमान,
निवासी- ग्राम ननेउ,तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गुमानाराम पुत्र मोडाराम
2. मांगीलाल पुत्र मोडाराम
3. खींयाराम पुत्र मोडाराम
4. रूपाराम पुत्र चैनाराम
5. राधा पत्नी जेठाराम
6. रामी पुत्री मोडाराम
   सभी जातियान् प्रजापत, {कुम्हार} निवासीगण- ग्राम ननेउ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2021 सहायक कलक्टर {फास्ट ट्रेक} फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 02/2021 गुमानाराम बनाम अब्दुल करीम इत्यादि

उपस्थित-

श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

निर्णय

दिनांक : 13 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर {फास्ट ट्रेक} फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 02/2021 गुमानाराम बनाम अब्दुल करीम इत्यादि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 197 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा ग्राम ननेउ तहसील फलोदी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मार्च 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रत्यर्थीगण की तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही भी अमल में लाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा अपना वाद साबित ही नहीं किया गया है न ही वाद में विवाद बिंदु कायम किये गये है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जबकि विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही नही दिये जाने के कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी व वादी के मध्य बंटवाड़ा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद है, इसलिए बंटवाड़ा का वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है तथा काउण्टर क्लेम का निस्तारण किये बिना ही प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री जारी की गई। वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बिना सहमति के ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलार्थी द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है। वर्तमान में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौके पर उपस्थित होने पर निर्णय की जानकारी हुई, जिस पर नकल हेतु दिनांक 24.12.2021 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 24.12.2021 को मिली। अपीलार्थी द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 02/2021 गुमानाराम बनाम अब्दुल करीम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से जमाबंदी में दर्ज हिस्सो अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट के हक-हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अतः प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है, किंतु सहमति स्वरूप पक्षकारान्/अधिवक्तागण के हस्ताक्षर आदेशिक पर नहीं पाये गये है। रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के विरोध में काउंटर शपथ-पत्र पेश कर विरोध नही किये जाने से न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.03.2021 के अवलोकन मुताबिक पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी एवं कांउटर क्लेम के जवाब हेतु विचाराधीन थी तथा आगामी पेशी दिनांक 10.03.2021 मुकर्रर थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत कांटउर क्लेम का जवाब प्राप्त किये बिना तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद/प्रतिवाद-जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा कांउटर क्लेम पर निर्णय पारित किये बिना उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 02/2021 गुमानाराम बनाम अब्दुल करीम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मार्च 2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14 मार्च 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर